भाकृअनुप. : भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ–160019
ICAR: Indian Institute of Soil & Water Conservation
Research Centre, Sector 27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160019
Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax : 0172 – 2650783 Email: soilcons_chd@yahoo.com

पत्रांक सं. 7(10)/2017-18/Store/Chd/Vol-II/ दिनांक: 22-01-2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान फार्म निकट मनसा देवी, सेक्टर–4, पंचकुला पर निम्नलिखित नीलामी दिनांक 12.02.2021 की जाएगी।

क्रम संख्या	विवरण	समय	सख्या
1.	अमरूद	11:30 बजे से 12:30 बजे तक	104 पेड़
2.	बेर		170 पेड़
3.	टमाटर	12:30 बजे से 01:30 बजे तक	3000 पौधे

नियम व शर्तें

1. संस्थान के अनुसंधान फार्म प्रक्षेत्र मनसा देवी पंचकूला पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त फलो की खुली बोली के माध्यम से नीलामी पूर्ण की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतू नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीयन कराना होगा।
3. बोलीदाता की पंजीयन राशि रू. 5,000/– अमरूद एंव बेर के लिए तथा रू. 2,000/– टमाटर के लिए पंजीयन के समय बोलीदाता को नगद/ डी.डी/बैंकर्स चैक/Pos machine के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
4. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. व आधार नं. की प्रति संस्थान कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
5. सफल/उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 25 प्रतिशत राशि तत्काल नगद/डी. डी/बैंकर्स चैक/ए.टी.एम के माध्यम से Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में जमा करानी होगी। ऐसा नही किए जाने पर नीलामी की पंजीयन/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा तथा संस्थान के केन्द्राध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह दूसरे नंबर के अधिकतम बोली दाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत कर सके अथवा उक्त नीलामी को रद्द किए जाने का अधिकार उनके पास सुरक्षित होगा।
6. नीलामी की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को छोड कर अन्य सभी बोलीदाओं द्वारा जमा कराई गई पंजीयन/धरोहर राशि उन्हें वापिस कर दी जाएगी।
7. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर नीलामी की बकाया 75 प्रतिशत राशि संस्थान में जमा करानी होगी इसके बाद ही बोलीदाता को फल तोड़ने की अनुमति दी जाएगी। निश्चित समयावधि में नीलामी की 75 प्रतिशत राशि नही जमा कराए जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा।
8. सफल बोलीदाता द्वारा फसलों पर लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध कराने होगें तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

9. नीलाम की गई फसल की देखभाल, पानी लगाना, स्प्रे करना इत्यादि ठेकेदार की जिम्मेदारी होगा।
10. जहां सम्भव होगा जरूरत पड़ने पर पानी दिया जाएगा।
11. नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद फसलों की देख–रेख व चौकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
13. ठेका छूटने के बाद कार्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कीटनाशक दवाईया ठेकेदार को स्वंय खरीदनी होगी तथा कौन से कीटनाशक की जरूरत होगी, इनकी जानकारी फसल विशेषज्ञ द्वारा दी जाएगी। दवाईयों के स्प्रे अपने कर्मचारियों द्वारा करवाये जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
14. नीलाम किये गये फलों को तोड़ने व कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।
15. नीलाम किये गये फलों के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निषेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
16. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कडाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एंव शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. ठेकेदार को ठेका आवंटन के बाद फलो को तोड़ने के बाद फार्म का क्षेत्र तुरन्त खाली करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
18. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
19. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एंव संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नही होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतू प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
20. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रकिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।
21. ठेके की अवधि मार्च 2021 तक मान्य होगी।

हस्ता/–
केन्द्राध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी ;भण्डारद्ध भा0कृअनुप0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal पर upload करने हेतु।
2. प्रभारी, AKMU Cell, भा0कृअनुप0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को Institute Website पर upload करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय।
4. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यालय।